

# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत—जिला कलक्टर मुकाम : दौसा  
जगदीश प्रसाद बनाम शकीला बेगम एवं अन्य

किस्म मुकदमा—धारा 73 (2) राज.नगरपालिका अधि.

नंबर 08/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.08.2023	<p>अधिवक्ता निगरानीकार उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं० 2 उपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकार ने बहस में कथन किया कि निगरानीकार ग्राम दौसा कलां स्थित भूमि खसरा नंबर 1684 रकबा 0.75 है. का हिस्सा 1/2 का रिकार्डेड खातेदार है एवं भूमि का राजस्व रिकार्ड में विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी सं० 1 के द्वारा वादी के सह खातेदार प्रभूदास चेला किशनदास बाबाजी के फर्जी हस्ताक्षर करके फर्जी इकरारनामा तैयार कर नगर परिषद दौसा में पटटे के लिए पत्रावली पेश कर नगर परिषद दौसा से दिनांक 25.3.2022 को पटटा जारी करवा लिया है। नगर परिषद द्वारा जारी पटटा प्रभावशून्य है। उक्त निगरानी को सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को है। अतः नगर परिषद दौसा द्वारा जारी किये गये पटटे की मूल पत्रावली को तलब फरमाया जाकर पटटा निरस्त फरमाया जावे।</p> <p>अधिवक्ता निगरानीकार सं० 2 ने बहस में कथन किया कि निगरानीकार की ओर से प्रश्नगत पटटे को निरस्त करने हेतु निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत की गई है वह नगर परिषद दौसा द्वारा दिनांक 25.3.2022 को जारी किया गया है एवं उप पंजीयक दौसा द्वारा उक्त पटटे का पंजीयन किया जा चुका है। नगर परिषद दौसा द्वारा जारी प्रश्नगत पटटे को निरस्त करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय जिला कलक्टर को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।</p> <p>उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नगर परिषद दौसा द्वारा जारी पटटे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं हो कर सिविल न्यायालय को है। प्रकरण धारा 73 (2) नगरपालिका अधिनियम के तहत पटटे को निरस्त किये जाने हेतु विचाराधीन है जो इस न्यायालय में पोषणीय (Maintainable) नहीं है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



जिला कलक्टर  
दौसा